कार्यालय मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,

लोक निर्माण विभाग, "निर्माण भवन", प्लाट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल: cepwdnhzonemp@gmail.com दूरभाष क्र.- 0755-2551570

क. स्था/रा.रा./24(14)2004/12 भोपाल, दिनांक 20/01/2025

कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा. परिक्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग प्लाट नं 27–28 अरेरा हिल्स भोपाल

विशेष अभियान के तहत निःशक्तजनों सहायक ग्रेड–3 की

भर्ती हेतु विज्ञापन

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ 8–2/2013/आ.प्र/एक दिनांक 04.01.2024 के प्रावधानों अनुसार विशेष अभियान के तहत निःशक्तजनों के लिये सहायक ग्रेड–3 की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन पत्र इस पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखते हुये निचे दर्शाये गये विहित प्रारूप में विज्ञापन जारी होने कि तिथी से दिनांक 28.02.2025 तक कार्यालयीन समय 5:30 सांयकाल (अवकाश के दिनों को छोडकर) कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा.) परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग द्वितीय तल (प्लाट नं–27–28 अरेरा हिल्स भोपाल पिन कोड 462027 के नाम से संबंधित कर प्रेषित करें। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त होने वाले पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा डाक से हुये विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा (रिक्त पदों का विवरण वेतनमान निर्धारण योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये निर्धारित तिथि कि जानकारी निम्ननुसार है।

क्र.	पद	पद की श्रेणी	वेतनमान	निःशक्तजन के लिये आरक्षित रिक्तियों पर प्रवर्ग एवं श्रेणीवार विवरण		निर्धारित योग्यता	वॉक–इन –इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				प्रवर्ग	पद की संख्या		
1	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	19500–62000	1. ओटिज्म बौद्धिक दिव्यांगत स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विलांगता पद	1	1. म.प्र. बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। 2.निम्नलिखित संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्युटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। – यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। –यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। –डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा –शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स –शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय कम्प्युटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र। 3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी3–15/2014/1/3/, दिनांक 26.04.2015 अनुसार CPCT Score Card न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ धारित करना अनिवार्य होगा। 4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–07/2015/1/3, दिनांक 18.08.2015	दिनांक 07.03.2025 समय 12:00 बजे साक्षात्कार हेतु अपने मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होवें।

						अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्युटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हतायें भी मान्य होंगी:– 1. बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई. इत्यादि। 5. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयॉ जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषयक का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।	
					योग= 1		

अन्य शर्तें:–

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. नि:शक्तता का डिजीटल प्रमाण–पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
8. पिछड़ा वर्ग का डिजीटल जाति प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसने निकाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व निकाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार मुख्य अभियंता (रा.रा. परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग भोपाल के पास सुरक्षित होंगे।
12. आवेदन पत्र का प्रारूप (नि:शक्तजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत) म.प्र. लो.नि.वि. की बेवसाइट www.mppwd.gov.inपर उपलब्ध है। उक्त बेवसाइट से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य अभियंता (रा.रा. परिक्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)